माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 605 /01/शोध/एके0/MSU/2023–24 दिनांक: 21/07/2023

कार्यालय–ज्ञाप

एतत्द्वारा समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि उच्च शिक्षा अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या–995/सत्तर–4–2023, दिनांक : 17 जुलाई, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा महाविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु शासनादेश संख्या–1604/सत्तर–4–2020–2018, दिनांक : 15.12.2020 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या–951(1)/सत्तर–4–2022, दिनांक : 24.06.2022 द्वारा प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं उन्हें नैक(NAAC) मूल्यांकन कराने हेतु प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक : 15.12.2020 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या–2 'पात्रता/कार्यक्षेत्र' के उपबिन्दु–2 को निम्नवत् संशोधित किया गया है :–

वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
(2) रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विभागों/संस्थानों में स्थायी रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिये है। इसके लिए युवा एवं शोध में प्रमाणित रूप से सक्रिय शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी।	(2) रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विभागों/संस्थानों में स्थायी रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिये है। इसके लिए युवा एवं शोध में प्रमाणित रूप से सक्रिय शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। इस योजनान्तर्गत ऐसे राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के अर्ह शिक्षकों के शोध प्रस्तावों को वरीयता दी जायेगी, जिनका आवेदन के समय नैक मूल्यांकन वैध है अथवा कुलसचिव/प्राचार्य द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि 01 वर्ष के भीतर नैक मूल्यांकन करा लिया जायेगा।

अतः शासनादेश संख्या–1604/सत्तर–4–2020–2018, दिनांक : 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा–निर्देशों को इस सीमा तक संशोधित मानते हुये उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

21/7/23

कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
02. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन।
03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी सहारनपुर एवं मेरठ मण्डल।
04. समन्वयक शोध/सह–समन्वयक शोध।
05. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध महाविद्यालय।
06. उपकुलसचिव।
07. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ

कुलसचिव

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–4
संख्या–995 / सत्तर–4–2023
लखनऊः दिनांकः 17 जुलाई, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु शासनादेश संख्या–1604 / सत्तर–4–2020–1268 / 2018, दिनांक 15.12.2020 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0–951(1) / सत्तर–4–2022 दिनांक 24.06.2022 द्वारा रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के संचालन हेतु विभागीय दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं उन्हें नैक (NAAC) मूल्यांकन कराने हेतु प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के बिन्दु सं0–2 'पात्रता / कार्यक्षेत्र' के उपबिन्दु–(2) को निम्नवत संशोधित किया जाता हैः–

वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
(2) रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विभागों / संस्थानों में स्थायी रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिये है। इसके लिये युवा एवं शोध में प्रमाणित रूप से सक्रिय शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी।	(2) रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विभागों / संस्थानों में स्थायी रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिये है। इसके लिये युवा एवं शोध में प्रमाणित रूप से सक्रिय शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। इस योजनान्तर्गत ऐसे राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के अर्ह शिक्षकों के शोध प्रस्तावों को वरीयता दी जायेगी, जिनका आवेदन के समय नैक मूल्यांकन वैध है अथवा कुलसचिव / प्राचार्य द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि 01 वर्ष के भीतर नैक मूल्यांकन करा लिया जायेगा।

2– शासनादेश संख्या–1604 / सत्तर–4–2020–1268 / 2018, दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा–निर्देशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

13/07/23
(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
2– कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(अरविन्द सिंह)
अनु सचिव

R & D-U O-2023